न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
193 / 2022	05.08.2022	18.11.2022

//उनवान//

1 ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली निवासी गादूवास तह0 मुण्डावर, अलवर, राज0।

:– वादिया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर, राज0।

–: प्रतिवादी

दावा– 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थितिः– श्री सीताराम चौधरी– वकील वादिया

निर्णय

दिनांक 18.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित आये। वादिया के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 1018/0.52 है का 11/144 भाग वाके ग्राम गादूवास में स्थित होकर विवादित आराजी कहलाएगी। आराजी मिन वादिया के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी होकर मिन वादिया अपने हिस्से की आराजी पर कब्जेकाश्त है तथा आराजी बाबत अन्य से खातेदारान से कोई विवाद नहीं है इसलिए सहखातेदारान को दावा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में मिनवादिया का नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली के स्थान पर ओमवती पत्नि शीशराम व जाति माली के स्थान पर राजपूत दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी के बाबत के राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में काश्तकारान का नाम की सूची के क्रम सं0 07 पर मिनवादिया का नाम ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली ही दर्ज है लेकिन उक्त जमाबंदी की क्रम सं0 08 में मिनवादिया का नाम ओमरती के स्थान पर ओमवती, जाति माली के स्थान पर राजपूत दर्ज कर दिया जो गलत है। जिस अंकन के रिकॉर्ड में दर्ज रहने से मिनवादिया आराजी का समुचित तरीके से उपयोग/उपभोग करने से वंचित हो रही है जबकि मिनवादिया के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व पेंशन कार्ड, जनआधार कार्ड में मिनवादिया का नाम ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली ही दर्ज है इसलिए गलत अंकन काबिले दुरूस्त है का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर पत्रावली पर जवाब की आवश्यकता नहीं है अंकित करते हुये अपने हस्ताक्षर किये।

वादिया ने अपने वादपत्र की ताईद में जमाबंदी ... प्रति, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं परिवार राशनकार्ड की प्र... हैं तथा मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र ओमरती पत्नि शीशराम जाति ... जाति माली पीडब्ल्यू–2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की वादपत्र के बाबत बहस सुनी गई। ... बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि राजस्व रिक... में वादिया का नाम खिलाफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

मौका व खिलाफ कानून ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली के स्थान पर ओमवती पत्नि शीशराम व जाति माली के स्थान पर राजपूत दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजी के बाबत के राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी सम्वत् 2073–76 में काश्तकारान का नाम की सूची के क्रम सं0 07 पर वादिया का नाम ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली ही दर्ज है लेकिन उक्त जमाबंदी की क्रम सं0 08 में वादिया का नाम ओमरती के स्थान पर ओमवती, जाति माली के स्थान पर राजपूत दर्ज कर दिया जो गलत है। वादपत्र की ताईद में नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 की प्रति एवं वादिया के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व पेंशन कार्ड, जनआधार कार्ड में वादिया का नाम ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली ही दर्ज है पेश कर दिये हैं का अभिकथन करते हुये वादिया के वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के नाम का नाम ओमवती पत्नि शीशराम जाति राजपूत को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत वादिया के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया के आराजी ख0नं0 1018/0.52 है0 के 11/144 भाग वाके ग्राम गादूवास तह0 मुण्डावर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादिया के वाद को डिक्री किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादिया का नाम ओमवती पत्नि शीशराम जाति राजपूत के अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं उसके स्थान पर ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

18-11-2022

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, जिला अलवर राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:06 IST
Reason: SelfAttested

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0) मुण्डावर अलवर राज0</u>

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
193 / 2022	05.08.2022	18.11.2022

//उनवान//

1 ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली निवासी गादूवास तह0 मुण्डावर, अलवर, राज0।

:– वादिया

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर अलवर, राज0।

–: प्रतिवादी

दावा– 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0

–: <u>पर्चा डिक्री</u> :–

वादिया की ओर से एडवोकेट श्री सीताराम चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.11.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

न्यायालय वादिया के वाद को आराजी ख0नं0 1018 / 0.52 है0 के 11 / 144 भाग वाके ग्राम गादूवास तह0 मुण्डावर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादिया के वाद को डिक्री किया जाता है एवं राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वादिया का नाम ओमवती पत्नि शीशराम जाति राजपूत के अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं उसके स्थान पर ओमरती पत्नि शीशराम जाति माली हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 18.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

18-11-2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0